राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रकोष्ठ
राजस्थान, जयपुर

बेटी बचाओ
Save the girl Child

क्रमांक : राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ /राज्य समन्वयक/2021/370 दिनांक : 06 July 2021

मुखबिर योजना हेतु दिशा–निर्देश

राज्य में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुखबिर योजना संचालित है। चिकित्सक द्वारा तकनीक का दुरूपयोग रोकने के लिये गोपनीय रूप से सूचना जनता से प्राप्त करना आवश्यक है तथा ऐसी सूचना को प्रदान करने के लिये जनता को अभिप्रेरित करना भी आवश्यक है। इसमें जनसहयोग की आवश्यकता है। इस योजना के द्वारा लिंग परीक्षण के दोषी व्यक्तियों तक विभाग की पहुँच को सुनिश्चित करते हुये उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सकता है। समाज में यह संदेश दिया जा सकता है कि लिंग परीक्षण करने/कराने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध जनसूचना के आधार पर उन्हें दण्डित कराया जा सकता है तथा इसके लिये भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले व्यक्ति/चिकित्सक की सूचना विभाग को देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखते हुये उसको विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किये गये पत्र क्रमांक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/स्वा0 प्रबं0/2015/410 दिनांक 31.03.2015 एवं 250 दिनांक 26.04.2017 को अधिक्रमित करते हुये राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी "मुखबिर योजना" से संबंधित दिशा निर्देश, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 23.12.2020 में लिए गये निर्णय अनुसार निम्न प्रकार संशोधित कर जारी किये जाते है :–

1. मुखबिर योजना के उद्देश्य :–

1. समाज मे घटते हुए बाल लिंगानुपात पर रोक लगाने का प्रयास करना।
2. ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें कानून के शिकंजे में लाना जो कि तकनीक के दुरूपयोग से भ्रूण का लिंग परीक्षण कर बेटियों को जन्म लेने से रोक रहे हैं।
3. समाज को बेटी बचाने के लिये जागरूक करना व इस कार्य के लिये उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
4. गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरूपयोग को रोकना।

2. मुखबिर योजना के लाभ :–

यदि लोग इस योजना के द्वारा चिकित्सकों को भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त पाये जाने पर कानून के दायरे में लाने के लिये मदद करते हैं, तो उन चिकित्सकों में भय का वातावरण पैदा होगा जो तकनीक के दुरूपयोग से बेटी के जन्म को रोक रहे हैं।

3. **कार्य नीति :–**

मुखबिर द्वारा दी गयी भ्रूण लिंग परीक्षण किये जाने की सूचना के आधार पर, समुचित प्राधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी (समुचित प्राधिकारी) द्वारा सूचना का सत्यापन किया जायेगा। सूचना के सत्यापन में बोगस ग्राहक (गर्भवती महिला) की उपलब्धता के आधार पर डिकॉय कार्यवाही सम्पादित की जायेगी, जिसमें मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना एवं सहयोग में चिकित्सक का नाम तथा गर्भवती महिला के भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जाना साबित होने पर मुखबिर योजना की प्रथम किस्त का हकदार होगा।

4. **मुखबिर योजना हेतु विभाग द्वारा निर्धारित राशि:–**

i. सफल डिकॉय ऑपरेशन करवाने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि तीन लाख रूपये स्वीकृत की जायेगी।

ii. प्रोत्साहन राशि रूपये तीन लाख में से 33.33 प्रतिशत मुखबिर, 50 प्रतिशत गर्भवती महिला एवं 16.67 प्रतिशत गर्भवती महिला के सहयोगी को निम्न दो किस्तो में दी जायेगी :–

क्र0 सं0	कुल प्रोत्साहन राशि 3,00,000/-(रूपये तीन लाख रूपये मात्र)	मुखबिर **33.33%** (1,00,000 रूपये)	गर्भवती महिला 50% (1,50,000 रूपये)	गर्भवती महिला का सहयोगी 16.67% (50,000 रूपये)
1	प्रथम किस्त :- सूचना पर सफल डिकॉय कार्यवाही होने पर प्रकरण पंजीबद्ध होने के तुरन्त बाद	50,000 /-	50,000 /-	25,000 /-
2	द्वितीय किस्त :- माननीय न्यायालय में आरोप विरचित होने के पश्चात अभियोजन पक्ष के समर्थन में बयान देने के बाद	50,000 /-	1,00,000 /-	25,000 /-
		1,00,000 /-	1,50,000 /-	50,000/-

iii. मुखबिर, गर्भवती महिला एवं गर्भवती महिला के सहयोगी को प्रोत्साहन राशि स्वयं के बैंक खाता अथवा पति/पत्नि के बैंक खाते में देय होगी।

iv. डिकॉय ऑपरेशन के लिये गर्भवती महिला को सोनोग्राफी फीस राशि व अन्य व्यय का अग्रिम भुगतान समुचित प्राधिकारी द्वारा मुखबिर योजना की मद संख्या 16.2.3 में से स्वीकृत किया जायेगा।

5. मुखबिर योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना :-

राज्य स्तर पर :-

1. अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी।
2. राज्य नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं निदेशक (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. प्राधिकृत अधिकारी, राज्य समुचित प्राधिकारी।

जिला स्तर पर :-

1. जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलक्टर।
2. जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

उपखण्ड स्तर पर :-

1. उपखण्ड समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी।

मुखबिर बनने की सूचना 104/108 टोल फ्री सेवा एवं व्हाट्सअप नम्बर 9799997795 पर भी दी जा सकती है।

उक्त दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रभावी होंगे।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, अध्यक्ष केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. विशिष्ट सहायक, अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं

3. अतिरिक्त शासन सचिव व मिशन निदेशक (एनएचएम), निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. संयुक्त शासन सचिव (आरसीएच), कमरा नं0 145–ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक (पीएनडीटी), कमरा नं0 206 डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं अति. मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त सदस्य, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान।
12. समस्त सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी एवं राज्य सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी, राजस्थान।
13. राज्य नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं निदेशक (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
15. समस्त सदस्य जिला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी, राजस्थान।
16. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं प्रभारी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
17. समस्त जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
18. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं सदस्य उपखण्ड सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी, राजस्थान।
19. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
20. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
21. रक्षित पत्रावली।

अध्यक्ष,
राज्य समुचित प्राधिकारी
(पीसीपीएनडीटी) एवं
अति. मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर